



2026:AHC:166352

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 25114/2026

रविन्द्र कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बीरेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार दोहरे

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : अनुराग उपाध्याय, सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार दोहरे, प्रत्युत्तरदाता संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग उपाध्याय, राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरी मोहन श्रीवास्तव एवं प्रत्युत्तरदाता-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ल को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए योजित की गई है:-

"(ए) उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत अपील संख्या 1954/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202415500001954) (रविन्द्र बनाम सहादुर) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 6.4.2026 (संलग्नक संख्या 7) के साथ-साथ उप-जिला अधिकारी, मधुबन, मऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत मौजा ताजपुर, परगना नत्थूपुर, तहसील मधुबन, जिला मऊ से संबंधित वाद संख्या 00851/2020 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी20241551030085) (सहादुर बनाम गांव सभा) में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 (संलग्नक संख्या 4) को निरस्त किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि निजी प्रत्युत्तरदाता संख्या 5 व 6 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत योजित आवेदन को अवैध और मनमाने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ढंग से स्वीकार किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत संचालित प्रकरण में उप-जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा योजित पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) आवेदन अभी भी उप-जिला अधिकारी के समक्ष लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि लंबित पुनर्स्थापन आवेदन पर उप-जिला अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था, तदनुसार, याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत अपील योजित करने की सलाह दी गई थी, जिसे अवैध और मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उप-जिला अधिकारी और अपील में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाना चाहिए तथा निजी प्रत्युत्तरदाता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत योजित आवेदन पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदाता संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 5 व 6 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत योजित आवेदन को प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सही रूप से स्वीकार किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने एक पुनर्स्थापन आवेदन योजित किया है जो अभी भी उप-जिला अधिकारी के समक्ष लंबित है, परंतु पुनर्स्थापन आवेदन के लंबित रहने के पश्चात्, याचिकाकर्ता की ओर से अपील योजित की गई थी जिसे सही रूप से निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत अपील में पारित आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण (रिवीजन) योजित किया जा सकता है, अतः वर्तमान रिट याचिका को वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का परिशीलन किया है।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा योजित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत अपील को आदेश दिनांक 6.4.2026 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है।

7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण योजित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में, रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त की जाती है कि याचिकाकर्ता पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष विधि के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण योजित कर सकता है।

10 अगस्त, 2026

सी. प्रकाश

(न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय)

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।